न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : **15/2019**

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. कलवन्त सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. बलदेव सिंह पुत्र कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. भजन सिह पुत्र कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. मेजर सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर 2. गुरदीप सिह पुत्र मंगल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजिन्द्र सिंह उर्फ हरजिन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 4. मंगल सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–08.07.2019

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री अशोक जोशी, अप्रार्थी संख्या 1 ता 4

––निर्णय–– दिनांक : 31.08.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 2074 के खाता संख्या 06/10 के मु0नं0 20 के किला नं0 17/2 से 25 कुल 9 बीघा भूमि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 2074 के खाता संख्या 53/02 के मु0नं0 20 के किला नं0 16 व 17/1 भूमि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज है। चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 2074 के खाता संख्या 76/77 के मु0नं0 20 के किला नम्बर 1 ता 8 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम सयुंक्त रूप दर्ज है। चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 2074 के खाता संख्या 72/72 के मु0नं0 20 के किला नम्बर 9 ता 15 की भूमि अप्रार्थी संख्या 4 के नाम दर्ज है। इस प्रकार मुरब्बा नम्बर 20 में आधा हिस्सा प्रार्थीगण का व आधा हिस्सा अप्रार्थीगण का है। दोनो पक्षों के नाम उनके कब्जा व हिस्सा के किलाजात राजस्व अभिलेख में पृथक दर्ज है। मुरब्बा नम्बर 20 के उतरी दिशा में किला नम्बर 1 ता 5 के साथ-साथ स्वीकृत रास्ता मौका पर चालू है। प्रार्थीगण की भूमि उक्त स्वीकृत रास्ता से महज 3 बीघा दूर है। आवेदक संख्या 1 कलवन्त सिंह व अनावेदक संख्या 4 मंगल सिंह आपस में सगे भाई है। शेष उनके पुत्र है। कलवन्त सिंह व मंगल सिंह ने आज से कई वर्षो पूर्व उक्त मुरब्बा नं0 20 का आपसी सहमति से विभाजन कर लिया था व उसी अनुसार किलावाईज ... राजस्व अभिलेख मे अपने अपने नाम दर्ज करवा ली। अप्रार्थीगण के हिस्से में मुरब्बा नम्बर 20 के किला नंम्बर 1 से 15 आये थे और प्रार्थीगण के हिस्से में मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 16 ता 25 आये। इस कारण प्रार्थीगण के किलाजात में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण ने अपने किलाजात 5, 6, 15 में पूर्वी दिशा में 1-1 बिस्वा भूमि रास्ता के लिए आज से करीब 15-20 वर्ष पूर्व छोडी थी। उक्त रास्ता आज से करीब 10 माह पूर्व तक मौका पर चालू था। आज से 10 माह पूर्व उक्त रास्ता अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया गया। आवेदकगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:20:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

को अपनी कृषि भूमि से आने जाने के लिये सिर्फ अपने जाने तक पहुंचने के लिए उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक या विशिष्ट रूप से मार्ग विद्यमान नहीं है। आवेदकगण की कृषि भूमि मुरब्बा नं0 20 के किला नं0 16 तक पहुंचने के लिए अनावेदकगण के मुरब्बा नं0 20 के किला नं0 5, 6, 15 प्रत्येक के पूर्वी दिशा में 1-1 बिस्वा भूमि मार्ग स्वीकृत किया जाना आवेदकगण की आत्यंतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और इस मार्ग के अतिरिक्त विशिष्ट रूप से या वैकल्पिक रूप से मार्ग या साधन का अभाव है। उक्त प्रस्तावित रास्ता हेतु आवेदकगण ने अनावेदकगण से कई बार पंचायत के समक्ष मांग की है। आज से पांच रोज पूर्व ही आवेदकगण ने पंचायत के समक्ष अनावेदकगण से प्रस्तावित रास्ता छोड़ने की मांग की तो अनावेदकगण ने स्पष्ट कहा कि हम आपको अपनी भूमि में से आने जाने नहीं देंगे। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प आवेदकगण के पास शेष नहीं रहा। वाद हेतुक उत्पन्न होने के पश्चात समयावधि के भीतर, विधिक प्रावधानों के अनुसार उक्त आवेदन प्रस्तुत कर रहे है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व अधिकार का है और पूर्ण कोर्ट फीस पर तहरीर होकर अन्दर मियाद पेश है। अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 47 एफ की कृषि भूमि के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 5, 6, 15 प्रत्येक के पूर्वी दिशा में 1-1 बिस्वा किला नं0 16 तक रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" रूप में अभिलिखित किये जाने के आदेश तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को जारी करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार हम अप्रार्थीगण द्वारा कथित अनुसार रास्ता छोड़ने एवं रास्ता आवेदन के 10 माह पूर्व तक चालू होने अथवा अनावेदकगण द्वारा रास्ता बंद किये जाने के कथन गलत अंकित किये गए है। प्रार्थीगण के द्वारा हम अप्रार्थीगण से हमारी भूमि के किला नम्बर 5, 6, 15 में रास्ता चाहा है। तो उन्हें इस भूमि की एवज में हम अप्रार्थीगण को उतनी ही भूमि देनी होगी। अन्यथा वे हमारी भूमि से रास्ता प्राप्त कर पाने के हकदार नहीं है। प्रार्थीगण रास्ता की एवज में भूमि दिये बिना जबरन अप्रार्थीगण की भूमि से गुजरना चाहते है। जिसके वे अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीगण रास्ता की भूमि की एवज में केवल भूमि ही प्राप्त करना चाहते है, प्रतिकर राशि नहीं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा अपने पत्रांक 794 दिनांक 16.08.2019 के साथ [illegible] निरीक्षक 9 एफ ए, फर्द मौका [illegible] उक्त रिपोर्ट तैयार करने व नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत [illegible] मुरब्बा नम्बर 20 के समय भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी [illegible] पूछताछ कर, यह पाया गया मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन [illegible] 20 के किला नम्बर 5, 6 कि मौके पर अप्रार्थीगण गुरदीप सिंह, [illegible] काबिज [illegible] है। प्रार्थीगण द्वारा चक 47 पर व किला नम्बर 15 पर मंगल सिंह पर काबिज [illegible] 16 ता 25 की भूमि हेतु अप्रार्थीगण के मुरब्बा एफ के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 16 ता 25 [illegible] में से 1-1 बिस्वा रास्ता चाहा गया है। जो आबादी नम्बर 20 के किला नम्बर 5, 6, 15 में से 1-1 [illegible] जो निकटतम व उपयुक्त है। वादीगण को भूमि से लगभग 650 मीटर की दूरी पर है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:20:15 IST
Reason: SelfAttested

रास्ते की आत्यातिंक आवश्यकता है। यह केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण, की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 6/10, 53/02 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 16 ता 25 की भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 5, 6, 15 से अपनी जोत मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 16 तक पहुचने के लिए रास्ते की मांग की गई है। उक्त रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थीगण की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मात्र सुविधा के लिए नहीं है। यह प्रार्थीगण की आत्यतिंक आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण का स्वीकार करने योग्य है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 5, 6, 15 प्रत्येक के पूर्वी दिशा में 1-1 बिस्वा यानि कुल 0.038 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस रास्ता की 0.038 हैक्टेयर भूमि के बदले अप्रार्थीगण को 0.038 हैक्टेयर भूमि देय होगी। जो प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की, (अप्रार्थीगण से चिपती भूमि) में से अप्रार्थीगण को देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत आदेश जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:20:15 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)